उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई........

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/~~कुमारी~~ कान्ति देवी
बी-331 विकास नगर, गोरखपुर

पत्रांक 346 नि0 प्रा0 2016/66 दिनांक 4-7-2016

~~भवन~~/भूखण्ड संख्या/~~खसरा संख्या~~ बी-331 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.6.2016 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या............ .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-7-2016 से 3-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममटी~~ हेतु 69.34 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. ५९.९६ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–.................... उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 346 /उपरोक्त / तद्दिनांक 4-7-2016

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड – 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।.

4/7/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / ~~कुमारी~~ मीला देवी w/o श्री राम केवल यादव
ग्राम व पो.- राजबोर जिला- गोरखपुर

पत्रांक 25 नि0 प्रा0 2017/03 दिनांक 18.1.2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा~~ संख्या B-322 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 4/578 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18.1.2017 से 17.1.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 62.08 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 48.86 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(हस्ताक्षर)

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 25 / उपरोक्त / तद्दिनांक 18.1.2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 2/3 शाहपुर योजना उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/1/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3...

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

~~श्री~~ / श्रीमती / ~~कुमारी~~ रेन लखुमानी

C-124/71 पाँचवी गली, सुभाष नगर

गोरखपुर

पत्रांक 124 नि0 प्रा0 2017/14 दिनांक 20-4-2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा संख्या~~ M-231 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10-4-2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 49 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-4-2017 से 19-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~[illegible]~~ हेतु 60.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 52.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 124 / उपरोक्त / तद्दिनांक 20-4-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।.

20/4/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

20/4/17

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शाइस्ता बेगम
A-137, आ0वि0 कालोनी
रुस्तम पुर तिवारी पुर गोरखपुर

पत्रांक 171 नि0 प्रा0 2017/32 दिनांक 15-5-2017

~~भवन~~/भूखण्ड संख्या/~~खसरा संख्या~~ C-235 योजना विकासनगर नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 8-5-17 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 15-5-2017 से 14-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममटी हेतु~~ 60.31 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 52.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-........ उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

कृते विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 171 /उपरोक्त / तद्दिनांक 15-5-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय शाहपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी तारामती देवी एवं श्रीमती रीता देवी
ग्राम व पो० - मंसूरगंज अर्द पीपीगंज परिवार
जनपद - महराजगंज (उ०प्र०)

पत्रांक 22 नि0 प्रा0 2017/02 दिनांक 18·1·2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा संख्या~~ C-120 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 04/516 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18·1·2017 से 17·1·2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 44·92 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 60.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[signature]

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 22 / उपरोक्त तद्दिनांक 18-1-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 2/3 ... गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature] 18/1/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती~~/~~कुमारी~~ अनिल कुमार रमवानी
लच्छीपुर विकास नगर
गोरखपुर

पत्रांक 2 नि0 प्रा0 2016/110 दिनांक 2-1-2017

~~भवन~~/भूखण्ड संख्या/~~खसरा~~ संख्या 46 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2016 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 152/541 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 2-1-2017 से 1-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ~~ममटी~~ हेतु 188.25 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 200.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 2 /उपरोक्त तद्दिनांक 2-1-2022

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सूरजकुण्ड योजना उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2/1/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई........

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / ~~श्रीमती / कुमारी~~ अनिल कुमार रामवानी
348, विजय नगर, सिंधी कालोनी सदर
गोरखपुर

पत्रांक 272 नि0 प्रा0 2017/56 दिनांक 2-8-2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा संख्या~~ 46 योजना शिवम गृ० आ० समिति नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 4-7-2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 89/806 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 2-8-2017 से 1-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति ~~भूतल~~, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 187.38 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 288.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है। (भूतल एवं आंशिक प्रथम तल पूर्व मे स्वीकृत / निर्मित है।)
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 272 / उपरोक्त तद्दिनांक 2-8-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सं0-60 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2/8/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / ~~श्रीमती/कुमारी~~ नरसिंह प्रसाद चौबे
मु॰ बहबोलिया पोस्ट मेंहदावल सन्तकबीर नगर
उत्तर प्रदेश

पत्रांक 61 / नि0 प्रा0 2017/16 दिनांक 20-2-2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा संख्या~~ P-333 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13-2-2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 605 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-2-2017 से 19-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममटी~~ हेतु 63.31 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 48.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय बृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(हस्ताक्षर)

कृ॰ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 61 / उपरोक्त / तद्दिनांक 20-2-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/2/17

कृ॰ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती~~/~~कुमारी~~ राजेश कुमार गौड़

EWS-482 ... गोरखनाथ

गोरखपुर

पत्रांक 35 नि0 प्रा0 2017/06 दिनांक 31-1-2017

~~भवन~~/भूखण्ड संख्या/~~खसरा संख्या~~ B 379 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18/01/2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 06 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 31.1.2017 से 31-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, [redacted] तथा ममटी हेतु 79.16 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 48.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(signature)

OL विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 38 /उपरोक्त / तद्दिनांक 31-1-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।.

(signature) 31/1/17

OL विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई....प्रदीप

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~कुमारी~~ राकेश कुमार गौड़
EWS-128 सूर्य विहार कालोनी गोरखनाथ
गोरखपुर

पत्रांक 36 नि0 प्रा0 2017/05 दिनांक 31-1-2017

~~भवन~~ / भूखण्ड संख्या / ~~खसरा संख्या~~ B380 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18/01/2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 05 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 31-1-2017 से 31-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, [redacted] तथा ममटी हेतु 79.16 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 48.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

o/L विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 36 / उपरोक्त तद्दिनांक 31-1-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 .... उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयं गोरखपुर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।.

31/1/17

o/L विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-तृतीय
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ
("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती~~/~~कुमारी~~ वेद प्रकाश एवं भरत कुमार मंझानी
ग्रा० जंगलपुर दाक्षी पोस्ट - सदर
जिला - गोरखपुर

पत्रांक 1 नि0 प्रा0 2016/97 दिनांक 2.1.2017

~~भवन~~/भूखण्ड संख्या/~~खसरा~~ संख्या B6 योजना विकास नगर, शिवम सहकारी आवास समिति नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2016 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 153/542 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 2.1.2017 से 1.1.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ~~ममटी~~ हेतु 241.62 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 360.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(हस्ताक्षर)

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 1 /उपरोक्त / तद्दिनांक 2.1.2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सूरज कुण्ड योजना उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2/1/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी विन्ध्यवासिनी राय
ग्रा०व पो० शिकारगढ़ जिला महाराज गंज,
गोरखपुर

पत्रांक 83 नि0 प्रा0 2016/22 दिनांक 9-3-2016

भवन/~~भूखण्ड संख्या~~/~~खसरा~~ संख्या 191-B योजना विकास नगर, नगर गोरखपुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2016 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 29/102 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9-3-2016 से 8-3-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ~~ममटी~~ हेतु 188.32 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 249.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-- 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[signature]

ह/- विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 83 /उपरोक्त तद्दिनांक 9-3-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सूरज कुण्ड योजना उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature] 9/3/16

ह/- विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/[redacted] विनोद कुमार द्विवेदी,
L.I.G.-182 आवास विकास कालोनी
विकास नगर बरगदवा गोरखपुर (उ०प्र०)

पत्रांक 292 नि0 प्रा0 2017/72 दिनांक 18-8-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या A-182 योजना विकास नगर नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 9-8-17 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 868/110 .... के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-8-2017 से 17-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, [redacted] हेतु 36.53 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 63.838 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।.
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(हस्ताक्षर)

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 292 /उपरोक्त / तद्दिनांक 18-8-2017

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय B-60 सूरजकुण्ड उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/8/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक